(8) (1)

दिनांक 17.04.2018 एवं 18.04.2018 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य–स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

1. **उपस्थितिः–संलग्न।**

समीक्षात्मक बैठक में सभी प्रमंडलीय उप निदेशक/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को अचूक रूप से भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति की पूर्व सूचना निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

2. **बजट/स्थापना :–**

(i) वित्तीय वर्ष 2017–18 में शीर्षवार आवंटित राशि के विरूद्ध व्यय एवं प्रत्यार्पण की समीक्षा से स्पष्ट हुआ कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) उपशीर्ष, जिसके अन्तर्गत वेतनादि का भुगतान किया जाता है, में बहुत से जिलों के द्वारा वेतनादि के अलावे यात्रा भत्ता, वाहन इंधन एवं कार्यालय व्यय मद में काफी राशि प्रत्यार्पित कर दी गई, जबकि कई जिलों में राशि के अभाव में वेतनादि का भुगतान नहीं किया जा सका। निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में इन शीर्षों के अन्तगर्त आवंटित राशि के नियमित व्यय/समीक्षा किया जाना सुनिश्चित करेंगें, खासकर कार्यालय में पदस्थापित सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी/पर्यवेक्षक नियमित रूप से प्रत्येक माह अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम, भ्रमण दैनन्दिनी एवं यात्रा भत्ता विपत्र प्राप्त कर उसका भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन– सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सांख्यिकी)/सभी जिला सां० पदा० एवं बजट शाखा

(ii) वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं इसके पूर्व में निकासी की गई राशि जिसका व्यय दिनांक– 31.03.2018 तक संभव नहीं हो सका, को संबंधित जमा शीर्षो/समेकित निधि में जमा करने संबंधी अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

समीक्षा में पाया गया कि जिला सांख्यिकी कार्यालय, लखीसराय, जमुई, बेगुसराय, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सीतामढ़ी, पू० चम्पारण, दरभंगा, वैशाली, कैमूर (भभुआ), जहानाबाद, भागलपुर, गोपालगंज, पूर्णियाँ, किशनगंज तथा कटिहार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (रब्बी मौसम) को छोड़कर शेष मदों/शीर्षो में उपलब्ध राशि का व्यय कर लिया गया एवं जो राशि व्यय योग्य नहीं थी उसे संबंधित जमा शीर्षो/राज्य की समेकित निधि में जमा कर दिया गया।

मुंगेर, मुजफ्फरपुर, शिवहर, मधुबनी, भोजपुर, बक्सर, रोहतास (सासाराम), गया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, सारण (छपरा), सीवान एवं अररिया में लघु सिंचाई गणना एवं अन्य मदों में निकासी की राशि का व्यय अभी तक नहीं किया गया, जो खेद का विषय है। सभी को निदेश दिया गया कि वे एक सप्ताह के अन्दर इन मदों में संधारित राशि का व्यय अथवा जमा शीर्षों में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

खगड़िया, समस्तीपुर एवं नालन्दा के द्वारा अद्यतन प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। सभी को निदेश दिया गया कि 24 घंटे के अन्दर अद्यतन प्रतिवेदन E-mail से प्रेषित करते हुए निदेशानुसार सभी राशि का व्यय अथवा जमा शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में निदेशक महोदया के द्वारा निदेश दिया गया कि जिन क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संधारित बैंक खाता में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (रब्बी मौसम) के लिए सहायक अनुदान गैर वेतन मद में निकासी की गई राशि के अतिरिक्त अन्य किसी मद की राशि अवशेष रहेगी। उनपर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायेगी।

अनुपालन– सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं निदेशालय के लेखा शाखा

(iii) वित्तीय वर्ष 2017–18 में सभी शीर्षों के अर्न्तगत आवंटित राशि से संबंधित मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि प्रमण्डलीय उप निदेशक (सांख्यिकी), भागलपुर एवं पूर्णियॉ प्रमण्डल तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना, नालन्दा, कैमूर (भभुआ), औरंगाबाद, बांका, अररिया, किशनगंज से जनवरी 2018 से मार्च 2018 तक का मासिक व्यय विवरणी अप्राप्त है। सभी को निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह की समाप्ति के अनुवर्त्ती माह के प्रथम सप्ताह में मासिक व्यय विवरणी निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन– सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक सांख्यिकी/सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

(iv) लंबित AC/DC विपत्र की समीक्षा में पाया गया कि सिर्फ जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पटना के यहाँ कुल 10 AC विपत्रों के विरूद्ध समर्पित DC विपत्र असमायोजित है जिसका समायोजन यथाशीघ्र करवाने का निदेश दिया गया।

अनुपालन– संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी